कार्यालय जिला पंचायत,देवरिया।

पत्रांक– 545 /जि0पं0/देवरिया दिनांक– 3। अगस्त, 2016

1. विज्ञापन व्यवस्थापक , राष्ट्रीय सहारा, एवं स्वतन्त्र चेतना को इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न विज्ञापन अपने समाचार पत्र के अगले अंक मे कम से कम स्थान में प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 देवरिया को उपरोक्त निविदा सूचना बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, देवरिया।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,देवरिया।

<u>कार्यालय जिला पंचायत,देवरिया।</u>

<u>निविदा सूचना</u>

जिला पंचायत देवरिया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासकीय अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त धन से स्वीकृत परियोजनाओं की मुहरबन्द निविदा दिनांक 20.09.2016 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा की बिक्री दिनांक–20.09.2016 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय में की जायेगी। निविदा हेतु निम्न शर्ते होंगीः–

1. प्रत्येक निविदा के साथ कार्य की लागत का 2 प्रतिशत सत्यंकार राशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंको का एफ0डी0आर0 अथवा नकद के रूप में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पदनाम से बन्धक होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
2. निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार निर्माण का परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित होगा तथा स्वीकृत लागत से अतिरिक्त कोई कार्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही मान्य होगा। पंजीकृत ठेकेदार का निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई क्लेम/आपत्ति मान्य नही होगा।
3. कोई भी अधिवक्ता जो राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष /सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकते है।
4. ए, बी, सी, श्रेणी के ठेकेदारों से निविदा उनकी कार्यसीमा के अन्दर ही मान्य की जायेगी।
5. निविदा के साथ मु0–100–00 रू0 का स्टाम्प पेपर तथा एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर निविदा बाक्स में डाला जायेगा।
6. समयवृद्धि मांगे जाने का वही ठेकेदार अधिकार होगा जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
7. निविदा वेवसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखी एवं download की जा सकती है।
8. समस्त जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को सुझाव दिया जाता है कि परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं आगणन आदि के संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय से सम्पर्क कर सकतें हैं।
9. निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करनें का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
10. बिना कार्यादेश जारी हुये कार्य प्रारम्भ करनें पर भुगतान की जिम्मेदारी जिला पंचायत की नही होगी एवं इसके लिए ठेकेदार पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. नियमानुसार निविदा फार्म के अतिरिक्त वैट शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा ।
12. शेष नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से की जा सकती है।

क0	वि0खं0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	सत्यंकार राशि (लाख में)	निविदा फार्म मूल्य	कार्य पूर्ण करनें की अवधि
1	रामपुर कारखाना	कुसुमा बेलवा पिच मार्ग से सटे हरहंगी यादव के खेत के पास 4 मी0 स्पान की पुलिया	9.95	19900	700	6 माह
2	बैतालपुर	सोपरी बुजुर्ग ड्रेन पर 2X3.60 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	13.29	26580	1000	6 माह

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अभियन्ता
जिला पंचायत,देवरिया।

(हरिओम नरायन चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,देवरिया।

(रामप्रवेश यादव)
अध्यक्ष
जिला पंचायत,देवरिया।